

फॉर्म एल-2-ए-पीएल

बीमाकर्ता का नाम: भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण संख्या 512 और आईआरडीआई के साथ पंजीकरण की तिथि 01.01.2001

31.12.2023 समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता

शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र संख्या	दिसंबर 31, 2023 तिमाही के लिए	दिसंबर 31, 2023 तक के लिए	दिसंबर 31, 2022 तिमाही के लिए	दिसंबर 31, 2022 तक के लिए
पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी खाते) से अंतरित राशि		9,12,568.44	25,52,917.81	5,97,188.45	22,58,613.20
निवेश से आय					
(a) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल		1,05,622.41	2,47,168.16	27,251.03	50,805.79
(b) निवेश की विक्रय/मोचन पर लाभ		834.78	11,095.69	956.12	7,068.81
(c) (निवेश की विक्रय/मोचन पर नुकसान)		(360.96)	(1,205.24)	(74.20)	(201.32)
(d) प्रीमियम का परिशोधन / निवेश पर छूट		-	-	-	-
अन्य आय		-	-	-	293.42
कुल (A)		10,18,664.67	28,09,976.42	6,25,321.40	23,16,579.90
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित व्यय के अलावा अन्य व्यय		9.81	30.28	9.90	29.32
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान					
(a) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय		-	-	-	-
(b) अन्य		-	-	-	-
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज		-	-	-	-
सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च		-	-	-	-
दंड		-	-	-	-
बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण		-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के खाते में हस्तांतरित राशि ²		68,754.22	86,860.20	(10,286.54)	13,058.36
प्रावधान (कराधान के अलावा)					
(a) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध)		34.33	297.07	-	-
(b) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-	-	-	-
(c) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		(6.95)	7,889.93	-	-
कुल (B)		68,791.41	95,077.48	(10,276.64)	13,087.68
कर पूर्व लाभ/(हानि)		9,49,873.26	27,14,898.94	6,35,598.04	23,03,492.22
कराधान के लिए प्रावधान		5,431.58	23,584.45	2,178.50	6,534.39
कर पश्चात लाभ/(हानि)		9,44,441.68	26,91,314.49	6,33,419.54	22,96,957.83
विनियोग					
(a) वर्ष की शुरुआत में शेष राशि।		-	39,46,297.33	-	4,01,433.30
(b) अंतरिम लाभांश का भुगतान		-	-	-	-
(c) भुगतान किया गया अंतिम लाभांश		-	1,89,749.93	-	94,874.96
(d) रिजर्व / अन्य खातों में स्थानांतरण		-	-	-	-
लाभ/हानि का तुलन पत्र में अग्रोषित किया गया		9,44,441.68	64,47,861.89	6,33,419.54	26,03,516.17

गत वर्ष के आकड़ों को वर्तमान वर्ष के आकड़ों के साथ तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समुहिकृत/ वर्गीकृत किया गया है।

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा।